समाहरणालय, मुंगेर

(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक ..../स्था0, दिनांक ....

प्रेषक,

कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला।
समाहरणालय स्थित सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी।
कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
जिला अवर निबंधक, मुंगेर।
अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर।
सभी प्रखंड विकस पदाधिकारी, मुंगेर जिला।
सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला।

विषयः- मुंगेर जिलान्तर्गत पदस्थापित समुह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विहित प्रपत्र में उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी करने के संबंध में।

प्रसगंः- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक 1/प्रो-10/2009-सा0प्र0-946 दिनांक 24.01.2011, 220, दिनांक 06.01.12 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 240/स्था0, दिनांक 24.02.2011 एवं 80/स्था. दिनांक 17.01.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के द्वारा राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा गत वर्ष की भांति अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के समुह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से संलग्न विहित प्रपत्र में उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उन्हे सार्वजनिक करने का निदेश प्राप्त है। इस संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जा रहे है:-

1. मुंगेर जिलान्तर्गत पदस्थापित ऐसे सभी पदाधिकारी/कर्मचारी जिनके नियुक्ति पदाधिकारी जिला स्तर के पदाधिकारी (यथा जिला पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी) है, उनके द्वारा संम्पत्ति विवरण विहित प्रपत्र में भर कर हस्ताक्षरित कर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 28.02.2012 तक स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही निदेश दिया जाता है कि सिविल सर्जन, मुंगेर एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के अन्तर्गत सभी DDO का चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वो की विवरणी अलग-अलग DDO का प्राप्त कर समेकित रूप से दिनांक 28.02.2012 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।